न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या – 112/2016

निर्णय दिनांक– 01.02.2019

उनवान

1. मोहनलाल पुत्र बन्नालाल जाति जाट निवासी पागडा तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र लादू जाति जाट निवासी पागडा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. गिर्राज पुत्र लादू जाति जाट निवासी पागडा तहसील उनियारा जिला टोंक
3. चोथमल पुत्र रामचन्द्रा जाति जाट निवासी पागडा तहसील उनियारा जिला टोंक
4. हेमराज पुत्र शंकर जाति जाट निवासी पागडा तहसील उनियारा जिला टोंक
5. रामस्वरूप पुत्र शंकर जाति जाट निवासी पागडा तहसील उनियारा जिला टोंक
6. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उनियारा जिला टोंक
7. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

–प्रतिपक्षीगण

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री बी0यू0 खान खान वकील प्रार्थी

श्री श्योजीलाल चौधरी वकील प्रतिपक्षीगण

श्री बी0एल0 कासलीवाल वकील प्रतिपक्षी न0 6

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 735 रकबा 6.88 है0 वाके ग्राम खातोली तहसील उनियारा मे स्थित है। जिसमे प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है। मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजीयात प्रार्थी की खरीदशुदा है। जिसे प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद की थी। जिस पर प्रार्थी का निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी का पागडा सीमा की और रोड के सटवा प्रार्थी का हिस्सा है। प्रार्थी की आराजीयात के पश्चिमी दिशा मे पागडा की सीमा है तथा प्रार्थी के खेत के पश्चिम दिशा मे डामर रोड बना हुआ है। डामर रोड के दूसरी ओर पागडा सीमा के बराबर नाला व रास्ता है तथा नाले मे खातोली ग्राम की ट्यूबवेल लगी है तथा पेयजल के लिये पानी की टंकी बनी हुयी है, जिससे ग्राम खातोली मे पानी की सप्लाई होती है। उक्त आराजीयात से प्रतिपक्षीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। प्रतिपक्षीगण अकारण ही प्रार्थी की आराजी मे सडक खोदकर बरसात का पानी खेत मे होकर निकालना चाहते है। जबकि वर्षा व तलाई का पानी नाले मे जो सिवायचक भूमि ख0न0 733 मे होकर निकलता आ रहा है। जिसे प्रतिपक्षीगण 1 ता 5 जे.सी.बी. से मिट्टी डालकर भर दिया है। प्रतिपक्षीगण 1 ता 5 ने ख0न0

Scanned by CamScanner

419, ख0न0 420 ग्राम पागडा चरागाह भूमि मे जबरन अतिक्रमण कर रखा है तथा सरकारी चरागाह भूमि मे ट्यूबवेल लगा रखी है। प्रतिपक्षी 1 ता 5 प्रतिपक्षी 6 व 7 से मिले हुये है तथा ऐन केन प्रकारेण प्रतिपक्षीगण रोड खोदकर पागडा की तलाई से निकलता वर्षा का पानी प्रार्थी की आराजी मे निकालना चाहते है, जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है।

अतः प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जावे कि वे प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 735 रकबा 6.88 है0 वाके ग्राम खातोली हिस्सा 1/4 मे प्रार्थी के कब्जे काश्त मे मजाहमत व मदाखलत नही करे, ना ही रोड खोदकर तलाई का पानी प्रार्थी की आराजी मे डाले, ना ही नाले को मिट्टी से भरे।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण 1 ता 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी सडक के सटवा स्थित है, जिसके दूसरी तरफ ग्राम पागडा का तालाब स्थित है। दो वर्ष पूर्व सडक की उंचाई लगभग 2 फीट बढाई गई थी, जिससे तालाब का पानी सडक पार नही कर गांव के भरने लगा, ग्रामवासियों की पानी की समस्या को दखत हुये तालाब का ऑपर फ्लो पानी निकालने के लिये तालाब की ढाल के अनुरूप सडक खोदकर नाला बनाया जा रहा था। जिससे की ग्राम पागडा के तालाब का ऑवर फ्लो पानी नाले मे होकर खेतों मे से निकल जावे और ग्राम पागगडा मे पानी नही भरे। जो कि ग्रामवासियों की समस्या को देखते हुये आवश्यक है। प्रतिपक्षीगण को पाबन्द कर दिया गया तो नाला निर्माण कार्य रूक जावेगा तथा ग्राम के पानी की समस्या होगी।

प्रतिपक्षी न0 6 ने भी उक्तानुसार ही जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मह हर्जा व खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 वाके ग्राम खातोली मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 735 रकबा 6.88 है0 मे प्रार्थी का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रकरण मे मुख्य प्रश्न ग्राम पागडा के तालाब का ऑवर फ्लो पानी निकासी को लेकर है। सडक की उंचाई बढने के कारण ग्राम मे पानी निकासी समस्या उत्पन्न होना जाहिर है। यदि पानी निकासी नही की जाती है तो ग्राम मे पानी भरने से जन साधारण को भारी समस्या का सामना करना पडेगा। प्रतिपक्षीगण के द्वारा किया गया कार्य जनहित मे था । प्रतिपक्षीगण को पाबन्द करने से ग्राम मे बरसात का पानी भरने की भारी समस्या उत्पन्न होगी।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नही समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 01.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कैलाश चन्द गुर्जर
(आर.ए. एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner